



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 15.12.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया मे पंजीकृत पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7,000/- रु0 का अर्थदण्ड की सजा।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 77/2018 धारा 354डी भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त धनराज पटेल पुत्र रमापति पटेल निवासी दाउदपुर थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-15.12.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-07/पाक्सो-1 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए धारा 354घ अन्तर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रु. अर्थदण्ड तथा धारा 7/8 अन्तर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000/- रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।